

जनपद सोनभद्र की सपोर्टिव सुपरविजन विजिट आख्या

भ्रमण अवधि— दिनांक 21.05.2018 से 24.05.2018

राज्य स्तरीय टीम

1. डा० हिमांशु आर्य, सलाहकार ,आयुष, एन०एच०एम०।
2. सोमेश कुमार सिंह, सलाहकार,एन०यू०एच०एम०।

मिशन निदेशक महोदय, एन०एच०एम० उ०प्र० द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 21–24 मई 2018 के मध्य जनपद सोनभद्र का भ्रमण कर एल–3, एल–2 व एल–1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। भ्रमण आख्या निम्नवत् है—

जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र

सम्पर्क अधिकारी— डा० प्रेम बहादुर गौतम (सी०एम०एस०)

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
परिसर में साफ—सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी। परन्तु अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा मशीनीकृत साफ सफाई नहीं की जा रही है। जबकि सुपरवाइजर द्वारा कहा गया कि मशीनीकृत साफ सफाई नियमित रूप से की जा रही है।	नियमित रूप से परिसर की साफ—सफाई कराये जाने व अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्लान बनाकर नियमित मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया। प्रतिदिन मशीनीकृत साफ सफाई हेतु सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया साथ ही चिकित्सा अधीक्षक महोदय को निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मानीटरिंग प्रपत्र में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर ही भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।	
वार्ड में स्थित शौचालय तालाबन्द पाये गये तथा साफ—सफाई संतोषजनक नहीं है, लगभग सभी वाश बेसिन एवं यूरिनल में निकासी का पाइप निकला हुआ था।	परिसर में स्थित सभी शौचालयों को खोलने तथा समुचित साफ सफाई हेतु सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया साथ ही सभी वाश बेसिन एवं यूरिनल में निकासी का पाइप लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
शिकायत पेटिका उपलब्ध थी किन्तु उपयोग में नहीं था।	शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व मानक के अनुसार क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया।	
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० उपलब्ध नहीं थी। जो आई०ई०सी० उपलब्ध थे वे पुराने थे तथा पर्याप्त नहीं थे।	अपडेटेड आई०ई०सी० डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का बाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
पैथोलाजी में निःशुल्क जांच का बोर्ड नहीं था।	निःशुल्क जांच हेतु नोटिस बोर्ड पर लिखा होना चाहिए।	
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी सेवायें दे रही है।	एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु नियमित फीडबैक देने का सुझाव दिया गया।	

चिकित्सालय में Colour Coded Bins उपलब्ध थे परन्तु उपस्थित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है।	समस्त सम्बन्धित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी देने व बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत नि॒शुल्क भोजन व्यवस्था के लिए निविदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जा चुकी चुकी है परन्तु वेन्डर द्वारा भर्ती प्रसूताओं को दिये जाने वाले भोजन के विषय में दीवाल-लेखन नहीं था।	प्रसूताओं को दिये जाने वाले भोजन के विषय में दीवाल-लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
एस०एन०सी०य० में ए०सी० कार्य नहीं कर रहा था	ए०सी० तत्काल ठीक कराने का सुझाव दिया गया।	
एन०आर०सी० वार्ड में लगा ए०सी० एवं कूलर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा था, तथा कूलर में कई दिन पहले का गंदा पानी एकत्रित था।	गंदा पानी को तत्काल निकलवा दिया गया तथा ए०सी० एवं कूलर को तत्काल ठीक कराने का सुझाव दिया गया।	
रसोईघर में साफ-सफाई ठीक नहीं थी। रसोईघर की खिड़कियों में कांच एवं जाली नहीं है।	रसोईघर में साफ-सफाई ठीक रखने तथा रसोईघर की खिड़कियों में कांच एवं जाली लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	
पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था एवं नवीन बेड हेड टिकेट भी उपलब्ध नहीं थे।	पार्टोग्राफ भरे जाने तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित एल-१, एल-२ एवं एल-३ की नवीन केस शीट तत्काल उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय में प्रोटोकाल पोस्टर्स यथा स्थान नहीं लगे थे।	प्रोटोकाल पोस्टर्स यथास्थान पर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया।	
लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस०बी०ए० प्रोटाकालपोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि मानकानुसार नहीं पायी गयी, लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी।	एम०एन०एच० टूल का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस०बी०ए० प्रोटाकाल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	
लेबर रूम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें उपलब्ध थीं परन्तु मास्क आदि उपलब्ध नहीं कराये गये थे।	समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने, उपलब्ध कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	
ए०एन०सी०, डिलवरी, रिफरल आदि रजिस्टर उपलब्ध थे। एम०सी०टी०एस० नम्बर नहीं भरे जा रहे थे।	एम०सी०टी०एस० नम्बर अवश्य भरने हेतु निर्देशित किया गया।	
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन नहीं था।	आई०ई०सी० सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	
जे०एस०वाई० वार्ड में मरीजों हेतु लगाये गये बिस्तरों में पुराने एवं खराब गद्दे लगाये गये थे।	स्टोर में उपलब्ध नये गद्दों को बिस्तरों में लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	
गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	
डेन्टल क्लीनिक में हाट एअर ओवन ठीक से नहीं रखा हुआ है।	डेन्टल क्लीनिक में हाट एअर ओवन ठीक से रखने हेतु एक मेज उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	

मुख्य चिकित्सा
अधीक्षक

मेनस्ट्रीमिंग आफ आयुष के अन्तर्गत चिकित्सालय में निर्मित आयुष विंग फर्नीचर इत्यादि हेतु रु0 5.00 लाख की धनराशि से क्रय दिशा—निर्देशानुसार नहीं किया गया है तथा सामान भी उपलब्ध नहीं है।	आयुष विंग में फर्नीचर इत्यादि हेतु रु0 5.00 लाख की धनराशि से क्रय के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रदत्त दिशा—निर्देशों का अवलोकन कर आयुष विंग में तदानुसार आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
मेनस्ट्रीमिंग आफ आयुष के अन्तर्गत चिकित्सालय में निर्मित आयुष विंग में प्रदत्त दिशा—निर्देशों के विपरीत 04 संविदा आयुर्वद चिकित्सक एवं 01 संविदा आयुष फार्मासिस्ट तैनात हैं।	आयुष विंग में दिशा—निर्देशों के अनुरूप संविदा पर 04 आयुर्वद चिकित्सकों के स्थान पर 01 होम्योपैथिक, 01 यूनानी एवं 01 आयुर्वद चिकित्सक तथा तदनुसार ही विधावार फार्मासिस्ट तैनात करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
एन0सी0डी0 क्लीनिक में डी0इ0ओ0, काउन्सलर तथा अन्य स्टाफ उपलब्ध नहीं है।	स्टाफ की नियुक्ति किया जाना।	राज्य स्तर से (एन0सी0डी0 एवं एच0आर0)

संलग्न— चेकलिस्ट।



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—नगवां

सम्पर्क अधिकारी— डा० संजीव कुमार वर्मा (अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
परिसर में साफ—सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रूप से परिसर की साफ—सफाई कराये जाने व अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्लान बनाकर नियमित मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय भवन में कई कमरों एवं हाल का प्रयोग स्टोर के रूप में किया जा रहा है।	स्टोर का रखरखाव भलीभांति करते हुए स्टोर की संख्या सीमित करने का सुझाव दिया गया।	
सिटीजन चार्टर डिस्प्ले था।	अपडेट कराते हुए उचित स्थान पर डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	
शिकायत पेटिका उपलब्ध थी किन्तु उपयोग में नहीं था।	शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व मानक के अनुसार क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया।	
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई०ई०सी० उपलब्ध नहीं थी। जो आई०ई०सी० उपलब्ध थे वे पुराने थे तथा पर्याप्त नहीं थे।	अपडेटेड आई०ई०सी० डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमिनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
पैथोलाजी में निःशुल्क जांच का बोर्ड नहीं था।	निःशुल्क जांच हेतु नोटिस बोर्ड पर लिखा होना चाहिए।	
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी सेवायें दे रही है।	एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु नियमित फीडबैक देने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय में Colour Coded Bins उपलब्ध थे परन्तु उपस्थित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है।	समस्त सम्बन्धित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी देने व बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन व्यवस्था के लिए निविदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जा चुकी चुकी है परन्तु वेन्डर द्वारा भर्ती प्रसूताओं को दिये जाने वाले भोजन के विषय में दीवाल—लेखन नहीं था।	प्रसूताओं को दिये जाने वाले भोजन के विषय में दीवाल—लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
पार्टीग्राफ नहीं भरा जा रहा था एवं नवीन बेड हेड टिकेट भी उपलब्ध नहीं थे।	पार्टीग्राफ भरे जाने तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित एल—१, एल—२ एवं एल—३ की नवीन केस शीट तत्काल उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय में प्रोटोकाल पोस्टर्स यथा स्थान नहीं लगे थे।	प्रोटोकाल पोस्टर्स यथास्थान पर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया।	
लेबर रुम में डिजिटल घड़ी नहीं थी।	उपलब्ध कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	
आर०बी०एस०के० टीम हेतु चिकित्सालय में कक्ष उपलब्ध नहीं है।	स्टोर की संख्या सीमित करने के उपरान्त खाली हुए कमरों में से एक कक्ष आर०बी०एस०के० टीम को आवंटित करने का सुझाव दिया गया।	

ए०ए०न०सी०, डिलवरी, रिफरल आदि रजिस्टर उपलब्ध थे। ए०सी०टी०ए०स० नम्बर नहीं भरे जा रहे थे।	ए०सी०टी०ए०स० नम्बर अवश्य भरने हेतु निर्देशित किया गया।	
टीकाकरण कक्ष के बाहर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन नहीं था।	आई०ई०सी० सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	
कोल्ड चेन हेतु मात्र एक डीप फीजर एवं एक आई०ए०ल०आर० ही क्रियाशील है।	कोल्ड चेन हेतु आवश्यक डीप फीजर एवं आई०ए०ल०आर० की उपलब्धता तथा खराब डीप फीजर एवं आई०ए०ल०आर० की मरम्मत हेतु संबंधित को मांगपत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।	
होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है।	होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाय व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
ई०डी०ए०ल० का प्रदर्शन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था।	ई०डी०ए०ल० का प्रदर्शन नियमित रूप से किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	
जे०ए०स०वाई० वार्ड में मरीजों हेतु लगाये गये बिस्तरों में पुराने एवं खराब गद्दे लगाये गये थे।	स्टोर में उपलब्ध नये गद्दों को बिस्तरों में लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	
गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	
मेनस्ट्रीमिंग आफ आयुष के अन्तर्गत आयुष औषधियों हेतु उपलब्ध धनराशि से क्रय दिशा-निर्देशानुसार नहीं किया गया है।	आयुष औषधियों हेतु उपलब्ध धनराशि से क्रय के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रदत्त दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर दिशा-निर्देशों के विपरीत आयुष औषधियों का अन्य फर्मा से क्रय के सम्बन्ध में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आई०य०सी०डी० इन्सर्शन की सेवायें दी जा रही हैं। आई०य०सी०डी० इन्सर्शन के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रिण्टेड रजिस्टर्स उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	

संलग्न— चेकलिस्ट।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – चतरा

सम्पर्क अधिकारी— डा० कीर्ति आजाद (अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
चिकित्सालय का भवन अद्विनिर्मित है तथा बाउण्ड्री वाल नहीं है, शौचालय एवं पानी की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सालय में मात्र भूतल का कुछ हिस्सा (लगभग 10–12 छोटे कमरे) ही निर्मित है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सालय हेतु भवन की उपलब्धता न होने कि स्थिति में उक्त अद्विनिर्मित भवन में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा संचालित किया जा रहा है।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा में प्रसव इत्यादि कार्य भी नियमित रूप से सम्पादित किये जा रहे हैं। परन्तु परिसर में बाउण्ड्री वाल न होने तथा मूलभूत सुविधायें (एक भी शौचालय एवं पानी की व्यवस्था) न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को गुणवत्तापरक प्रसव सेवाएँ तथा अन्य चिकित्सकीय लाभ प्रदान करना संभव नहीं है। अतः इस हेतु चतरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की आवश्यकता है।	राज्य स्तर से (निर्माण अनुभाग, एस०पी०एम०य० / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय)
अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, मिर्जापुर को भवन निर्माण हेतु समर्त धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सोनभद्र द्वारा दिनांक 19.05.2017 को धारा 409 एवं 420 के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है। साथ ही भवन हस्तांतरण न होने के कारण तथा विवादित होने से उक्त भवन में, अन्य मदों में उपलब्ध धनराशि (यथा स्टेट बजट, आर०के०एस० इत्यादि) द्वारा भी किसी प्रकार का परिवर्तन/अस्थायी निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है।		
परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रूप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार आई०ई०सी० प्रदर्शित नहीं की गयी है।	अपडेटेड आई०ई०सी० डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण वाल पैनिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन व्यवस्था के लिए निविदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जा चुकी चुकी है परन्तु वेन्डर द्वारा भर्ती प्रसूताओं को दिये जाने वाले भोजन के विषय में दीवाल–लेखन नहीं था।	प्रसूताओं को दिये जाने वाले भोजन के विषय में दीवाल–लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पार्टीग्राफ नहीं भरा जा रहा था एवं नवीन बेड हेड टिकेट भी उपलब्ध नहीं थे।	पार्टीग्राफ भरे जाने तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित एल–1, एल–2 एवं एल–3 की नवीन कैस शीट तत्काल उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
चिकित्सालय में प्रोटोकाल पोस्टर्स यथा स्थान नहीं लगे थे।	प्रोटोकाल पोस्टर्स यथास्थान पर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया।	
ए०एन०सी०, डिलवरी, रिफरल आदि रजिस्टर उपलब्ध थे। एम०सी०टी०एस० नम्बर नहीं भरे जा रहे थे।	एम०सी०टी०एस० नम्बर अवश्य भरने हेतु निर्देशित किया गया।	

<p>बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र पर Colour Coded Bins उपलब्ध नहीं थे तथा उपस्थित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है।</p>	<p>Colour Coded Bins उपलब्ध कराने तथा अनुबंधित एजेन्सी द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट सेवाओं को नियमित रूप से प्रदान करने हेतु सुझाव दिया गया। साथ ही समस्त सम्बन्धित स्टाफ को वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी देने व बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी</p>
--	---	-------------------------------

संलग्न— चेकलिस्ट।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – राबर्टसगंज

सम्पर्क अधिकारी— डा० जे०पी० सिंह—

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 01 एम०ओ०, 02 स्टाफ नर्स, 01 फार्मासिस्ट, 01 एल०टी०, 03 ए०एन०एम० एवं 01 सपोर्ट स्टाफ कार्यरत है। केन्द्र पर वर्तमान में कार्यरत एम०ओ० का नाम डिस्प्ले नहीं था।	वर्तमान में केन्द्र पर कार्यरत स्टॉफ के नामों की सूची अंकित करने के निर्देश दिये गये।	चिकित्साधिकारी/ नोडल अधिकारी
परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रूप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने व अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्लान बनाकर नियमित मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्साधिकारी/ नोडल अधिकारी
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खुलने एवं बंद होने का समय अंकित नहीं था।	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खुलने एवं बंद होने का सही समय वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अरबन हेल्थ कोऑडिनेटर/ चिकित्साधिकारी
राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार आई०ई०सी० प्रदर्शित नहीं की गयी है।	अपडेटेड आई०ई०सी० डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम./ अरबन हेल्थ कोऑडिनेटर
एल०टी० के पास ग्लूकोमीटर एवं यूरिन कंटेनर उपलब्ध नहीं था।	ग्लूकोमीटर व यूरिन कंटेनर क्रय करने के निर्देश दिये गये।	नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम
टीकाकरण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन नहीं था।	आई०ई०सी० सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम
2018–19 का माइक्रोप्लान, एच०आर०पी० रजिस्टर, सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका, एनीमिक की सूची उपलब्ध नहीं थी।	संबंधित रजिस्टर, सूची को नियमित रूप से अपडेटेड एवं केन्द्र पर रखने के निर्देश दिये गये।	चिकित्साधिकारी/ अरबनहेल्थ कोऑडिनेटर
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर EDL डिस्प्ले नहीं था।	उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया।	ए०सी०एम०ओ०/ नोडल अधिकारी
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Colour Coded Bins उपलब्ध नहीं थे तथा उपस्थित स्टाफ को वेर्स्ट सेग्रीगेशन की जानकारी देने व बायो मेडिकल वेर्स्ट के समुचित निस्तारण हेतु अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	Colour Coded Bins उपलब्ध कराने तथा समस्त सम्बन्धित स्टाफ को वेर्स्ट सेग्रीगेशन की जानकारी देने व बायो मेडिकल वेर्स्ट के समुचित निस्तारण हेतु अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी/ नोडल अधिकारी
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सक को, सम्बद्ध किया गया है। जबकि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र एलोपैथ (एम०बी०बी०एस०) चिकित्सकों की ही नियुक्ति की जानी है।	मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सक की सम्बद्धता नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से समाप्त कर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यकतानुसार एलोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी

संलग्न— चेकलिस्ट।

सामुदायिक गतिविधियाँ (वी.एच.एन.डी.सत्र)

ग्राम— खड़िया

ए०ए००५०— श्रीमती नीलम—

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
ए०ए००५० चेक अप हेतु कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। ए०ए००५० एवं पी०ए००५० की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। स्थल पर गर्भनिरोधक सामग्री उपलब्ध नहीं थी। आशा के पास आशा डायरी व बैग समस्त टूल किट के साथ सत्र स्थल पर नहीं था। बच्चों की बजन, बी०पी० मशीन, थर्मामीटर, पन्चर पुफ बाक्स, यूरिन टेस्ट किट एवं ब्लड टेस्ट किट सत्र स्थल पर उपलब्ध नहीं था। गर्भवती/ प्रसूती महिला, लक्षित दम्पत्ति सूची, ए०आर०पी० सूची आदि उपलब्ध नहीं थी। ग्रोथ मानिटरिंग नहीं की जा रही थी एवं न ही पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा था। कुपोषित बच्चों के परीक्षण के लिये ए०यू०ऐ०५० टेप उपलब्ध नहीं था, जिससे कुपोषित बच्चों का चिन्हिकरण व बच्चों को ए०आर०सी० रेफर नहीं किया जा रहा था। आशा को होम डिलीवरी आफ कान्ट्रासेप्टिव स्कीम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। सत्र स्थल पर एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड वर्क प्लान उपलब्ध नहीं था।	ए०ए००५० चेक अप हेतु गोपनीयता की व्यवस्था के लिए सुझाव दिया गया। आशाओं का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक स्तर पर— चिकित्सा अधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक / ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर
आशा कार्यकारी को संचालित योजनाओं की अपेक्षित जानकारी कम थी जिससे समुदाय में गृहभ्रमण में प्रेरित किये जाने में समस्या आ रही थी। सत्र स्थल पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अलग से रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठक रजिस्टर एवं बैंक पासबुक आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी। आशा का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा था।	वी.एच.एन.डी.सत्र स्थल पर एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड वर्क प्लान उपलब्ध नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक महोदय के समक्ष ही एम.सी.टी.एस. आपरेटर से एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड वर्क प्लान निकलवाकर उपलब्ध कराया गया तथा सभी ए०ए००५० को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी बढाने का सुझाव दिया गया।	

संलग्न— चेकलिस्ट।

सामुदायिक गतिविधियाँ (वी.एच.एन.डी.सत्र)

ग्राम— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—नगवां

ए०एन०एम०—श्रीमती शशि —

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	आपेक्षित कार्यवाही का स्तर
सत्र स्थल पर आशा उपस्थित नहीं थी।	आशाओं का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक स्तर पर— चिकित्सा अधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक / ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर
बी०पी० मशीन, थर्मामीटर, पन्चर प्रुफ बाक्स, यूरिन टेस्ट किट एवं ब्लड टेस्ट किट सत्र स्थल पर उपलब्ध नहीं था। गर्भवती/प्रसूती महिला, लक्षित दम्पत्ति सूची, एच०आर०पी० सूची आदि उपलब्ध नहीं थी।	वी.एच.एन.डी.सत्र स्थल पर एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड वर्क प्लान उपलब्ध नहीं था।	वी.एच.एन.डी.सत्र स्थल पर एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड वर्क प्लान उपलब्ध नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक महोदय के समक्ष ही एम.सी.टी.एस. आपरेटर से एम.सी.टी.एस. जेनरेटेड वर्क प्लान निकलवाकर उपलब्ध कराया गया तथा सभी ए०एन०एम० को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
सत्र स्थल पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अलग से रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।		

संलग्न— चेकलिस्ट।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक

मिशन निदेशक महोदय, एन0एच0एम0 उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा द्वारा दिनांक 23 मई 2018 को जनपद सोनभद्र का भ्रमण कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की मदवार, भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में की गयी, जिसमें जनपदीय नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के साथ ब्लाक स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। जनपद को प्रत्येक मदो में प्राप्त धनराशि का भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान हेतु निर्णय लिया गया।

जिला लेखा प्रबन्धक के साथ प्रत्येक एफ0एम0आर0 कोड के सापेक्ष व्यय किये जाने के सम्भावित धनराशि का विश्लेषण करते हुए मई माह का एक्शन प्लान बनवाया गया।

- बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ मदवार व्यय विवरण के माध्यम से वर्ष 2018-19 में जनपद को प्राप्त कुल धनराशि की मद वार एवं पूर्व वर्ष की कमिट धनराशि की मद वार व्यय विवरण की अध्यतन स्थिति पर समीक्षा की गयी जिसमें जनपद को वर्ष 2018-19 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों में मद वार भुगतान करने हेतु सुनिश्चित किया गया।
- कमिट धनराशि 31 मई 2018 से पूर्व नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय कर लिया जायेगा इस हेतु मदवार समीक्षा की गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुछ मदों में प्राप्त धनराशि का मानव संसाधन की नियुक्ति न होने के कारण एवं सम्बन्धित इकाई क्रियाशील न होने के कारण उक्त मदो का व्यय नहीं कर पाने की बात कही गयी।
- समुदाय आधारित गतिविधियों यथा परिवार नियोजन, मातृ-मृत्यु समीक्षा, आशा भुगतान, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, अनटाइड फन्ड एवं प्रधान मंत्री मातृ बंदना योजना की समीक्षा एवं भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान हेतु दिशा-निर्देश दिये गये।
- मेनस्ट्रीमिंग आफ आयुष के अन्तर्गत आयुष औषधियों हेतु उपलब्ध धनराशि से क्रय दिशा-निर्देशानुसार नहीं किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रदत्त दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर दिशा-निर्देशों के विपरीत आयुष औषधियों का अन्य फर्मों से क्रय के सम्बन्ध में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही का सुझाव दिया गया।

बैठक में निम्नानुसार सुझाव दिये गये—

- आगामी 04 माह का प्लान बनाकर वित्तीय व भौतिक प्रगति सुनिश्चित किया जाए।
- ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए। भिन्नता की भी जॉच सुधार करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- भ्रमण की गई स्वास्थ्य इकाईयों के फीडबैक से अवगत कराते हुए सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।
- ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में समस्त जानकारियों से समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए उनका क्षमतावर्धन किया जाये जिससे उपलब्धि बढ़ाई जा सके।
- प्रत्येक माह सामुदायिक कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा की जाये व आगामी माह हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में निर्देशित किया जाय।

- रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित नहीं की जा रही हैं। बैठकों का आयोजन नियमित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- आशा शिकायत कमेटी की बैठके नहीं की जा रही थीं। बैठकों का नियमित आयोजन कराये जाने का सुझाव दिया गया।



S.K.S.
Somesh Kumar Singh
Consultant-NUHM

Dinesh Kumar
दृष्टि निष्ठा आय
सलाहकार (आयुष)
एस.पी.एस./एन.सी.एस.